

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./24/2008/70

भोपाल, दिनांक 29.08.2008

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अंजु चौहान अध्यापक शा. मावि बरखेड़ा नायक, जिला-मन्दसौर	जनपद पंचायत गरोठ जिला-मन्दसौर जा.क्र. 964, दि. 05.08.08	जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र. 6133, दि. 11.08.08 शा. हाईस्कूल रुई
2	श्रीमती कविता कुमावत अध्यापक शा. मावि बरखेड़ा बुजुर्ग जिला-उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र. 5960, दि. 07.07.08	जिला पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. 6338, दि. 13.08.08 शा. मावि घटला
3	श्री माधवप्रसाद द्विवेदी (विकलांग) सहायक अध्यापक शा. प्रावि डोलकू जिला-शहडोल	जनपद पंचायत बुढार जिला-शहडोल जा.क्र. 1386, दिनांक 15.07.08	जनपद पंचायत जवा जिला-रीवा जा.क्र. 386, दिनांक 02.08.08 शा. प्रावि हरदहन
4	श्रीमती कविता भोले अध्यापक (विज्ञान) शा. मावि कदवाली जिला-खरगौन	जनपद पंचायत भगवानपुरा जिला-खरगौन जा.क्र. 889, दिनांक 16.07.08	जनपद पंचायत देवास जिला-देवास जा.क्र. 2034, दिनांक 12.08.08 शा. हाईस्कूल जामगोद
5	श्रीमती किरण खत्री अध्यापक शा. मावि धनखेड़ी जिला-सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 2218, दिनांक 11.08.08	जनपद पंचायत कालापीपल जिला-शाजापुर जा.क्र. 926, दिनांक 12.08.08 शा. हाईस्कूल ढाबलाधीर शा. मावि पारदाखेड़ी
6	श्रीमती श्वेता झा अध्यापक शा. मावि सिजहरा जिला-कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला-कटनी जा.क्र. 3486, दि. 18.08.08	जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 3293, दि. 21.08.08 शा. मावि उरदौरा

mo

e

7	श्रीमती पार्वती धुर्वे सहायक अध्यापक शा. प्रावि शिवपुरी जिला-छिन्दवाड़ा	जनपद पंचायत परासिया जिला-छिन्दवाड़ा जा.क्र. 160, दिनांक04.07.08	जनपद पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 467, दिनांक 07.07.08 शा. प्रावि हिलगन (ढाना)
8	श्रीमती जमनादेवी अहिरवार, सहायक अध्यापक शा. प्रावि देवराखेरा जिला-टीकमगढ़	जनपद पंचायत निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 203,दिनांक30.05.08	नगर पालिका परिषद् जिला-शिवपुरी जा.क्र. 206,दिनांक 01.06.08 शा. प्रावि तात्याटोपे
9	श्रीमती भारती बहुगुणे अध्यापक शा. उमावि छोटी खरगौन जिला-खरगौन	जिला पंचायत खरगौन जिला-खरगौन जा.क्र. 6101,दिनांक24.07.08	जनपद पंचायत सांवेर जिला-इन्दौर जा.क्र. 3077,दिनांक 15.07.08 शा. हाईस्कूल बरलाई
10	श्रीमती ममता अग्रवाल सहायक अध्यापक शा. मावि हीरापुर जिला-सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 2186,दिनांक 07.08.08	नगर पालिक निगम इन्दौर जिला-इन्दौर जा.क्र. 759/जीए,दिनांक 12.08.08 शा. प्रावि क्र. 93 पीपल्याहाना
11	कु.शशिकला पाण्डेय अध्यापक शा. मावि राजपुरा जिला-राजगढ़	जनपद पंचायत राजगढ़ जिला-राजगढ़ जा.क्र. 865,दिनांक 09.07.08	जनपद पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 1806,दिनांक 16.07.08 शा. मावि बिजोरी
12	श्रीमती सावित्री पटेल सहायक अध्यापक शा. प्रावि कुल्हुई जिला-सिंगरौली	जनपद पंचायत बैद्वन जिला-सिंगरौली जा.क्र. 2790,दिनांक12.08.08	जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला-शहडोल जा.क्र. 991-1,दिनांक 13.08.08 शा. प्रावि कुदरी टोला शा. प्रावि बरहाटोला शा. प्रावि मनटोला
13	श्रीमती मीरा तिवारी अध्यापक (इतिहास) शा. उमावि कंदवारी जिला-सतना	जनपद पंचायत रामनगर जिला-सतना जा.क्र. 1300,दिनांक20.06.08	जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला-शहडोल जा.क्र. 306,दिनांक 04.06.08 शा. मावि खामडाड़ शा. मावि सूखा शा. हाईस्कूल चरखरी
14	श्रीमती पूनम पाठक अध्यापक शा. मावि बॉसेड जिला-शयोपुर	जनपद पंचायत कराहल जिला-शयोपुर जा.क्र. 2303,दिनांक16.07.08	जनपद पंचायत गुना जिला-गुना जा.क्र. 2055,दिनांक 17.07.08 शा. मावि बरखेड़ा सफा शा. मावि पडरिया शा. हाईस्कूल कावन
15	श्रीमती उर्मिला तिवारी अध्यापक शा. हाईस्कूल कुचवाही जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला-सीधी जा.क्र. 8479, दिनांक 30.07.08	नगर पालिक निगम, रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 3822, दिनांक 21.08.08 शा. मावि अन्नतपुर
16	श्रीमती सुमीता अहिरवार अध्यापक शा. मावि रजपुरा जिला-छतरपुर	जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला-छतरपुर जा.क्र. 2003,दिनांक 20.08.08	जनपद पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 2402,दिनांक 22.08.08 शा. हाईस्कूल मोगराराम शा. हाईस्कूल उझावन

17	श्रीमती ममता शर्मा सहायक अध्यापक शा. प्रावि बसोना जिला-श्यापुर	जनपद पंचायत विजयपुर जिला-श्यापुर जा.क्र. 940,दिनांक 16.07.08	जनपद पंचायत पहाड़गढ़ जिला-मुरैना जा.क्र. 1438,दिनांक 17.07.08 शा. क. प्रावि सुजानगडी शा. बा प्रावि हुसैनपुर
18	श्रीमती गायत्री गुजरे अध्यापक शा. न. मावि डेकना जिला-होशंगाबाद	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 955,दिनांक 15.07.08	जनपद पंचायत बैतूल जिला-बैतूल जा.क्र. 1420,दिनांक 21.08.08 शा. हाईस्कूल सुहागपुर
19	श्रीमती जमना नरगावे सहायक अध्यापक शा. क.प्रावि महागढ़ जिला-नीमच	जनपद पंचायत मनासा जिला-नीमच जा.क्र. 5150,दिनांक 07.07.08	जनपद पंचायत कसरावद जिला-खरगौन जा.क्र. 464,दिनांक 05.08.08 शा. क. प्रावि मगरखेड़ी / पिपरी शा. क. प्रावि नीमरानी
20	कु. विनिता बाथम सहायक अध्यापक शा. प्रावि पाडलिया जिला-सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला-सीहोर जा.क्र. 1959,दि 18.07.08	जनपद पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 1999,दिनांक 04.08.08 शा. प्रावि किशनपुरा शा. प्रावि सिमरिया शा. प्रावि मिडवासा
21	श्रीमती इन्दिरा गेहलोद अध्यापक (विज्ञान) शा. हाईस्कूल झारड़ा जिला-मन्दसौर	जिला पंचायत मन्दसौर जिला-मन्दसौर जा.क्र. 8,दि 18.07.08	जिला पंचायत नीमच जिला-नीमच जा.क्र. 4375,दिनांक 16.07.08 शा. हाईस्कूल धनेरियाकला / भरभडिया एवं जमुनियोंकलों
22	श्रीमती रेखा नामदेव अध्यापक शा. उमावि करी जिला-छतरपुर	जिला पंचायत छतरपुर जिला-छतरपुर जा.क्र. 2189,दि 26.08.08	नगर पालिका परिषद् डबरा जिला-ग्वालियर जा.क्र. 4431,दिनांक 30.07.08 शा. क. उमावि डबरा
23	श्रीमती रेखा तन्तुवाय अध्यापक शा. मावि सिमरिया जिला-कटनी	जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला-कटनी जा.क्र. 955,दि 16.07.08	नगर पालिका परिषद् सिहोरा जिला-जबलपुर जा.क्र. 309,दिनांक 26.08.08 शा. क. उमावि सीहोरा

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक





- विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
 7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
 8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
 9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
 10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
 11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


29/8/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29.08.2008

पृष्ठा.क्र०/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./24/2008/71
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


29/8/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए + डी/अजिनि संवि./15/2008/ 63

भोपाल, दिनांक 22.08.2008

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी अध्यापक शा. मावि नगोरा जिला-सतना	जनपद पंचायत मझगवाँ जिला-सतना जा.क्र. 09,दि.30.06.08	नगर पालिक निगम रीवा जिला-रीवा जा.क्र. 2831,दि.11.06.08 शा. उमावि क्रमांक 2
2	श्रीमती गीता शर्मा सहायक अध्यापक शा. क.प्रावि विजयपुर जिला-श्योपुर	नगर पंचायत विजयपुर जिला-श्योपुर जा.क्र. 1041,दि. 10.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव बरई जिला-ग्वालियर जा.क्र. 742,दि.18.07.08 शा. प्रावि नयागांव शा. बा. प्रावि पनिहार शा. क. प्रावि पनिहार
3	श्रीमती नीलम द्विवेदी, सहायक अध्यापक शा. प्रावि पनागर जिला-छतरपुर	जनपद पंचायत बिजावर जिला-छतरपुर जा.क्र. 1795,दि.30.06.08	जनपद पंचायत जतारा जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. 2240,दि.17.07.08 शा. क. मावि बम्हौरी
4	श्री अशोकसिंह कुशवाह (विकलांग) अध्यापक शा. मावि अजीतपुरा भाण्डेर जिला-दतिया	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला-दतिया जा.क्र. 626, दि. 19.07.08	जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर जा.क्र. 2057, दि. 22.07.08 शा. मावि खेड़ी (जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा मान्य)
5	श्री हिमलेश दीक्षित (विकलांग) अध्यापक शा. मावि अलीसरखेड़ा जिला-शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जिला-शाजापुर जा.क्र. 3878, दि.17.07.08	जनपद पंचायत सारंगपुर जिला-राजगढ़ जा.क्र. 2553, दि. 21.07.08 शा. हाईस्कूल पटाड़िया धाकड़

6	श्रीमती कुसुम शर्मा अध्यापक शा. मावि गुराडिया जाट सिंवनी मालवा जिला-होशंगाबाद	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद जा.क्र. 929, दि. 04.07.08	जिला पंचायत रायसेन जिला-रायसेन जा.क्र. 3122, दि. 18.07.08 शा. मावि सेहतगंज
7	श्रीमती नीलम राज सहायक अध्यापक शा. प्रावि भौरझिर जिला-नरसिंहपुर	जनपद पंचायत चांवरपाठा जिला-नरसिंहपुर जा.क्र. 866, दि. 06.06.08	जनपद पंचायत कटनी जिला-कटनी जा.क्र. 414, दि. 19.06.08 शा. प्रावि पड़रिया शा. प्रावि खिरवा (सरसवाही) शा. मावि कटगीकलां
8	श्रीमती प्रीति कुँवर चन्द्रावत अध्यापक शा. हाईस्कूल खेजडिया जिला-मन्दसौर	जिला पंचायत मन्दसौर जिला-मन्दसौर जा.क्र. 3507, दि.14.08.08	जिला पंचायत डीआरडीए रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र. 6332, दि. 14.08.08 शा. हाईस्कूल कमेड
9	श्रीमती संगीता अवस्थी अध्यापक शा. मावि लहरबुजुर्ग जिला-टीकमगढ़	जनपद पंचायत पलेरा जिला-टीकमगढ़ जा.क्र. निरंक, दि. निरंक	जिला पंचायत जबलपुर जिला-जबलपुर जा.क्र. 6913, दि.16.07.08 शा. हाईस्कूल सूरतलाई
10	श्रीमती रश्मि नागर अध्यापक शा. क. हाईस्कूल नाहरगढ़ जिला-मन्दसौर	जिला पंचायत मन्दसौर जिला-मन्दसौर जा.क्र. 3340, दि. 02.08.08	नगर पालिका शाजापुर जिला-शाजापुर जा.क्र. 2615 दि. 21.08.08 शा. उमावि महालक्ष्मी शा. उमावि क्र. 2
11	श्रीमती रचना प्रजापति अध्यापक (विज्ञान) शा. मावि डोंग गोहद जिता-भिण्ड	जनपद पंचायत गोहद जिला-भिण्ड जा.क्र. 1706, दि. 10.07.08	जनपद पंचायत नरसिंहपुर जिला-नरसिंहपुर जा.क्र. 3812 दि. 18.07.08 शा. मावि बाँसकुवारी बरगी


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।



8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


22/8/08
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22.08.2008

पृष्ठा. क्र०/शि.क./ए + डी/अजिनि संवि./15/2008/64
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


22/8/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
